



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 2554/12-1 दिनांक, मसूरी 4-02-2016।

सेवा में,

अधिकाारी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -11.425 किमी0) के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। F.P/UK/ROAD/13657/2015 dt. 02.07.2015.

सन्दर्भ :- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1853/12-1(1) दिनांक 01, फरवरी, 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आनलाईन वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न)। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, न्यू फारेस्ट, देहरादून के पत्र File No. Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करते हुए मूल प्रस्ताव तीन प्रति में उपलब्ध कराते हुए संगत प्रस्ताव प्राप्ति का दस्तावेज Proof के तौर पर स्केन प्रति ऑन लाईन अपलोड करना है।

अतः उक्तानुसार की गयी कार्यवाही एवं प्रस्ताव तीन प्रतियों में नोडल अधिकारी को प्राप्त करवाने का दस्तावेज की पठनीय छाया प्रति भी इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उक्तानुसार।

भवदीय,

प्रशासनिक अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2554/12-1(1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

प्रशासनिक अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
1853 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, फरवरी, I 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।

विषय: जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425किमी) के निर्माण हेतु 9.194हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर बानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

संदर्भ: प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 13657 /2015 आपका पत्रांक 2331/ 12-1 दिनांक 20-01-2016

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय वन अनुसंधान संस्थान परिसर, न्यू फोरेस्ट, देहरादून के पत्र File No. Misc/III/ ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 6-11-2015 (छाया प्रति संलग्न) के अनुपालन में प्रस्ताव की प्राप्ति नोडल अधिकारी के कार्यालय में तीन प्रति में करवाते हुए संगत प्रस्ताव प्राप्ति का दस्तावेज Proof के तौर पर स्कैन प्रति ऑन लाईन अपलोड करना है।

उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की हार्ड प्रति उसी दिन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जिसमें प्रस्तावक विभाग के स्तर से प्रस्ताव तीन प्रतियों में नोडल अधिकारी को प्राप्त करवाने का दस्तावेज की पटनीय छाया प्रति भी उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(आर0के0मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुनावृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपि-अधिसासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, 6 इन्दिरानगर, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुनावृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
मिर्चसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पीओ न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2750809,
ईमेल/Email - moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

File No. Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846

Dated: 6th November, 2015

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttarakhand,
Subhash Road,
Dehradun

Sir,

As you are aware, the Govt. of India has started a Web Portal for online submission and monitoring of Forest Clearance Proposals w.e.f 14th August, 2014 and since then all the fresh proposals seeking diversion of forest land for various non-forestry proposes are being submitted online.

Till now this office has received 220 Forest Clearance proposals online from the state of Uttarakhand out of which "in-Principle"/final approval has been granted in 28 cases and the essential details have been sought from State Govt. in the remaining cases in which shortcomings were noticed.

In this regard it is bring to your kind notice that as per existing guidelines, it is also required to submit a hard copy of the proposal seeking diversion of forest land to non forestry use along with online submission. However, the State Govt. of Uttarakhand is not submitting hard copy of proposals seeking diversion of forest land to various non- forestry uses to this office. In some cases copy of recommendations of authorities of the State Govt. in Part I to V only are being provided in the name of hard copy whereas the hard copy is required to contain all the Performa and annexures/additional documents/maps provided online.

This office though had been making verbal requests to the concerned officers of the Forest Department, Uttarakhand to submit hard copy of the proposals submitted online but keeping in view the urgency to grant Forest Clearances for various developmental purposes, processing of proposals received online from the State Govt. without hard copy had been continued till date. However, the requirement of providing a hard copy of the proposal has not been fulfilled till now and this office is still receiving the Forest Clearance proposals online, not accompanied by hard copy. You will appreciate that submission of hard copy

being one of the important part of guidelines to maintain record for future reference, it may not be proper to continue the practice of processing and clearing forest land diversion proposals without obtaining hard copy any more. This office is therefore, sending back all online fresh proposals received from State Govt. without hard copy, which are yet to be processed, till hard copies are received.

You are, therefore, requested to ask the concerned officers of your Department to simultaneously make hard copy also available to this office of all proposals seeking diversion of forest land to non-forestry use under Forest (Conservation) Act, 1980 in future as and when these are submitted online.

Copy to:

1. The Addl.PCCF & Nodal Officer, Forests Conservation, Govt. of Uttarakhand, Indira Nagar, Forest Colony, Dehradun.

2/ Office Order pad.

Ajay Kumar
Addl. PCCF

6.11.20
Ajay Kumar
Addl. PCCF